

बिहार विधान परिषद

(बिहार विधान परिषद् का 194वां बजट सत्र)

06 मार्च 2020

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

24

चापाकल का प्रावधान

*2 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि सूबे के सरकारी माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के साथ-साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (इन्टर महाविद्यालय) तथा संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की भांति शुद्ध पेयजल हेतु चापाकल का प्रावधान नहीं है;

(ख) क्या यह भी सही है कि खंड 'क' में वर्णित कोटि के विद्यालयों-महाविद्यालयों में चापाकल का अधिष्ठापन/निर्माण अपने संसाधनों से किया जाता है अथवा जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा के आधार पर किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सूबे के सभी सरकारी माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के साथ-साथ संबद्धता प्राप्त माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में भी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की भांति चापाकल का प्रावधान करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

रिक्तियों को भरने का विचार

***142 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से 584 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किये गये हैं और बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने तथा जीवन के हर क्षेत्र में उनके विकास के उद्देश्य से हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के पटना समेत इन विद्यालयों में से 215 विद्यालयों में वार्डन तथा 196 में नाइट-गार्ड की नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिससे विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं असुरक्षित महसूस करती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि अबतक विभाग द्वारा इन विद्यालयों में रिक्तियों के विरुद्ध वार्डन एवं नाइट-गार्ड की नियुक्ति/नियोजन नहीं किये जाने का क्या कारण है और कबतक रिक्तियों को भरे जाने का विचार रखती है?

पाठ्यक्रम पूरा कबतक

***143 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा छात्रहित में सूबे के सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों में वर्तमानतः विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में ही वैसे सभी जिला मुख्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत करना चाहती है, जहां छात्र-छात्राओं को अपने अध्ययन हेतु लंबी दूरी तय कर अथवा प्रमण्डलीय मुख्यालय में प्रवास कर पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रयोगशाला व्यवस्था का सुदृढीकरण

***144 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 में राज्य के सभी विद्यालयों के प्रयोगशाला उपकरण के लिए राशि दी गयी थी जिसमें माध्यमिक के लिए 3 लाख, उच्च माध्यमिक के लिए 5-5 लाख की राशि शामिल है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय के सामान खरीदने के बाद तुरंत उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना था लेकिन अभी तक एक भी विद्यालय ने प्रयोगशाला के उपकरण की खरीदारी की जानकारी अपने संबंधित पदाधिकारी को नहीं दी है;

(ग) क्या यह सही है कि सुसज्जित प्रयोगशाला नहीं रहने के कारण छात्रों को प्रयोग करने में काफी कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-2 में वर्णित लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच कराकर प्रयोगशाला की व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

108 प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई

*145 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि प्राइवेट स्कूल आरटीई एक्ट के तहत समुचित संख्या में बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं;

(ख) राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने के एवज में राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों को प्रति विद्यार्थी 6559/- रुपये देती है, राज्य सरकार सालाना 30 से 40 करोड़ रुपये प्राइवेट स्कूलों को भुगतान करती है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक पूरे पांच सालों में नर्सरी व कक्षा 1 में हुए कुल नामांकन में से 25 प्रतिशत यानी 4.25 लाख से अधिक सीटें आरटीई के तहत एडमिशन के लिए निर्धारित की गई थी जिसमें 1.74 लाख सीटें खाली रह गयी हैं;

(घ) क्या यह सही है कि वर्ष 2014-15 से लेकर अबतक एक भी साल कक्षा 1 व नर्सरी में आरटीई के तहत निर्धारित सीटें नहीं भरी जा सकी हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुल नामांकन का 25 प्रतिशत सीट नहीं भरने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई कर शत-प्रतिशत नामांकन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सेवाशर्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन

***146 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त और अनुशंसित माध्यमिक विद्यालयों और +2 विद्यालयों (इंटर कॉलेजों) की सेवाशर्त नियमावली प्रभावी है;

(ख) क्या यह सही है कि सेवाशर्त नियमावली के आलोक में उक्त कोटि के विद्यालयों में आन्तरिक स्रोत की 70 प्रतिशत राशि वेतन भुगतान में खर्च करने का प्रावधान है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कोटि के विद्यालयों में सेवाशर्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन द्वारा अभी भी नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सेवाशर्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन इन विद्यालयों में सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

शीघ्र स्कूल का निर्माण

***147 डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी भूतनाथ रोड स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यालय के पीछे एक प्लॉट सरकारी विद्यालय खोलने हेतु वर्षों से चिह्नित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कॉलोनी में कहीं कोई सरकारी विद्यालय नहीं है जिससे छात्र-छात्राओं को मजबूरी में निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए विवश होना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा आजतक उक्त प्लॉट में विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया है जिससे उक्त जमीन का अतिक्रमण हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त चिह्नित प्लॉट पर शीघ्र स्कूल का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

भवन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कब तक

*148 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज में 66 भवन विहीन स्कूलों को 41 स्कूलों में मर्ज एवं शेष 25 को दूसरे विद्यालयों में टैग कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अभी भी बहुत से विद्यालय छत विहीन है जिसमें बरौली प्रखंड का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, दक्षिण टोला, बैकुंठपुर ब्लॉक का नवसृजित प्रा.वि., नया टोला हकाम में बच्चे अभी भी जमीन पर पढ़ते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा भवनहीन स्कूलों को नजदीकी दूसरे स्कूलों से टैग तो कर दिया गया लेकिन दूरी की वजह से बच्चे दूर के स्कूलों में जाने में सक्षम नहीं हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी भवनहीन स्कूलों में भवन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नजदीक के विद्यालय से जोड़ने की व्यवस्था

*149 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

क. क्या यह सही है कि राज्य के वैसे विद्यालय जो भूमिहीन हैं, उन्हें बगल के किसी विद्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है?

ख. क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के इस नीती के कारण भूमिहीन विद्यालयों को स्थानांतरण वैसे विद्यालयों में किया जा रहा है जो दूर है जिसके कारण वहाँ के बच्चों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?

ग. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपरोक्त नीती में परिवर्तन कर भूमिहीन विद्यालय को भूमि उपलब्ध कराने या नजदीक के विद्यालय से जोड़ने की व्यवस्था करना चाहती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षण कार्य प्रारंभ कब तक

*150 श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत खड़कपुर प्रखंड पंचायत बढौना के गौरा मकतब प्राथमिक विद्यालय का भवन अर्द्धनिर्मित रहने के कारण वहां के छात्र-छात्राओं का पढ़ाई कार्य प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कार्य कराकर छात्र-छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के प्रति विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुस्तकालय संचालित कराने का विचार

*151 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

शिक्षा :-

पुस्तकालय संचालित कराने का विचार

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को पठन-पाठन करने का पुस्तकालय एक सुलभ स्थल है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में पुस्तकालय भवन का घोर अभाव है जिससे युवाओं एवं युवतियों को पुस्तकालय का कोई लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी जिलों में सरकारी भवन बनाकर पुस्तकालय संचालित कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित

*152 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों और सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को आन्तरिक स्रोत की आय की 70 प्रतिशत राशि वेतन मद में खर्च करने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि इन प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित विद्यालयों/महाविद्यालयों में उक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पठन-पाठन कबतक

*153 श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत नवनिर्मित+2 विद्यालयों के शिक्षक कर्मी तथा छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि नवनिर्मित+2 विद्यालयों में बेंच-डेस्क, बलैक बोर्ड, लैब सामग्री आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि विभागीय स्तर से उक्त विद्यालयों में आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई आवश्यक पहल नहीं की जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में आधारभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराकर पठन-पाठन सुचारु रूप से कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुरास्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित

*154 डा. दिलीप कुमार चौधरी (स्नातक दरभंगा):

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न संग्रहालयों एवं पुरास्थलों की सुरक्षा हेतु कोई ठोस नीति एवं नियम नहीं बनाए गए हैं जिसके कारण सुरक्षा में घोर लापरवाही देखी जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि कभी होमगार्ड, कभी निजी सुरक्षा गार्ड, इसके चयन, मानदेय, समय-सीमा आदि में अधिकारियों के मनमानी के कारण भ्रष्टाचार का बोलबाला

है और पुरास्थलों की सुरक्षा खतरे में है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुरास्थलों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति एवं नियम बनाकर इसका कार्यान्वयन करते हुए पुरास्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

बालू का भंडारण

*155 श्री मनोज यादव (भागलपुर, बाँका स्थानीय प्राधिकार):

खान एवं भूतत्व :-

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बाँका जिले में प्रत्येक दिन अवैध खनन कार्य में संलिप्त गाड़ी तथा भारी मात्रा में अवैध बालू विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा जब्त किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि लगभग चार वर्षों में जितने भी अवैध बालू जब्त किये गये उन सभी अवैध बालू की आजतक ना ही कभी नीलामी की गई और ना ही स्टॉक में रखा गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अवैध खनन कार्य में संलिप्त गाड़ियों की संख्या, कितनी मात्रा में अवैध बालू को जब्त किया गया तथा अवैध बालू का भंडारण किन-किन स्थानों किया गया है, के संबंध में बतलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुरातात्विक अन्वेषण एवं सर्वेक्षण

*156 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण की भूमि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है परन्तु अभी तक वहां पुरावशेषों के सर्वेक्षण के कार्य नहीं हुए हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्वी चम्पारण का पुरातात्विक अन्वेषण एवं सर्वेक्षण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

भवन निर्माण का विचार

*157 श्री सुनील कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, दरभंगा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत +2 उच्च विद्यालय, गंडौल, महिषी अंचल का एक मात्र सबसे पुराना उच्च विद्यालय है;

(ख) क्या यह सही है कि +2 उच्च विद्यालय, गंडौल का भवन वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ग) क्या यह सही है कि विभागीय उदासीनता के कारण +2 उच्च विद्यालय, गंडौल को अबतक नया भवन उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त +2 उच्च विद्यालय, गंडौल का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्राध्यापक के पद पर काबिज

*158 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान नियमावली 2017 के अनुसार चल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि नियमावली 2017 के अनुसार प्राध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु यू.जी.सी. के मापदंड का अनुपालन राज्य सरकार के आदेशानुसार संस्थान द्वारा किया जाना है;

(ग) क्या यह सही है कि पूर्व के प्राध्यापकों को संस्थान के नियमानुसार 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ने प्राध्यापक के पद पर 60 वर्ष की उम्र के बाद भी बने रहने का पत्र संस्थान को निर्गत किया है; यदि हां तो कब, नहीं तो कैसे उक्त संस्थान के प्राध्यापक पद पर 60 वर्ष की उम्र के बाद भी काबिज हैं?

प्रतिनियुक्त करने का आदेश

***159 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के ज्ञापन 1068, दिनांक 22 सितंबर 2016 के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि शिक्षकों को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा तथा विधानमंडल, सांसद एवं स्थानीय निकाय को छोड़कर किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उच्चतर माध्यमिक / कंप्यूटर विज्ञान विषय के शिक्षकों को विज्ञप्ति संख्या 95/2019 के द्वारा इन्टरमीडियट / मैट्रिक परीक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य नहीं करने एवं गैर शैक्षणिक कार्य अंक डाटा इंट्री कार्य के लिए प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस पर अपना स्पष्ट वक्तव्य देगी?

सेवा में योगदान

***160 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 2008 से 2012 तक बेल्ट्रान/बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा आउटसोर्सिंग पर लगभग 1832 कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति ICT योजना के तहत की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उन सभी कम्प्यूटर शिक्षकों को 2017 से सेवा मुक्त कर दिया गया है तथा इस वजह से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कम्प्यूटर शिक्षा से वंचित हो गये हैं;

(ग) क्या यह सही है कि 2015 में राज्य स्तरीय पैमाने पर विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियुक्त करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था;

(घ) क्या यह सही है कि 2015 में ये कम्प्यूटर शिक्षक भी विद्यालयों में कार्यरत थे तब भी उनकी अनुशंसा शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की गयी;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि 5-8 सालों तक सेवा देने वाले इन कम्प्यूटर शिक्षकों को फिर से सेवा में

योगदान देने हेतु वह अवसर प्रदान करेगी, यदि नहीं तो क्यों?

एफ.आई.आर. दर्ज मामले में कार्रवाई

*161 श्री सतीश कुमार (विधान सभा):

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बिहार म्यूजियम में टिकट बिक्री में लगभग पांच करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है तथा कर्मियों की बहाली से लेकर प्रभारी निदेशक के प्रभार तक बिना विज्ञापन निकाले बहाली की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कांड में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है तथा संग्रहालयाध्यक्ष की बर्खास्तगी होने के बावजूद निरस्त किया गया है जो गंभीर मामला है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घोटाला में लिप्त अधिकारी-कर्मि तथा एफ.आई.आर. दर्ज मामले में कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जलकरों का हस्तांतरण

*162 श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि मंत्री, शिक्षा विभाग के ज्ञापांक संख्या—म./बैठक 3/97-445, दिनांक 04.03.2002 के पत्र के आलोक में उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा अपने पत्रांक-429, दिनांक 16.03.2002 के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा गया कि विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन जलकरों को पशु एवं मत्स्य विभाग में हस्तांतरित किया जाय;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षा विभाग, बिहार, पटना विश्वविद्यालयों के नियंत्रणाधीन सभी जलकरों का हस्तांतरण पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिक्षा का बाजारीकरण

***163 श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में समानता के सिद्धांत पर एक प्रकार की यानी मात्र सरकारी स्तर पर ही शिक्षा व्यवस्था लागू करने की अति आवश्यकता है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में दोहरी नीति पर आधारित सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय स्थापित कर संचालित करने की छूट दी जाने के कारण राज्य के अधिकांश छात्र-छात्राएं सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों विद्यालयों में नामांकण कराते आ रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में गैर-सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय-अस्पताल, विश्वविद्यालय स्थापित कर संचालित करने की छूट नहीं देने से या उसके द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों की मान्यता नहीं देने से और राज्य के विधायक, विधान पार्षद, सांसद, मुखिया, जिलाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, सरकारी अधिकारीगण के बच्चे-बच्चियों मात्र सरकारी विद्यालय में ही नामांकन कराकर अध्ययनरत रहने के क्रम में ही शिक्षा प्राप्ति के सभी संसाधन काफी सक्रियता, तीव्रता से, शीघ्रता से, मनोभाव से उपलब्ध हो जाएगी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाना चाहती है कि खंड 'ग' पर अंकित स्थिति के अनुसार किस परिस्थिति में राज्य के नागरिकों को शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की जा रही है और शिक्षा का बाजारीकरण कर रही है?

बकाया भुगतान कबतक

***164 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि कुमारी बबिता, पंचायत शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुर, प्रखंड+जिला बक्सर में पदस्थापित है;

(ख) क्या यह सही है कि इनका वेतन कई वर्षों का लम्बित (बकाया) है, भुगतान नहीं हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि वेतन भुगतान नहीं होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है और परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कुमारी बबिता, पंचायत शिक्षिका के वेतन का बकाया भुगतान कबतक सरकार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?
